बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–07 / 2017– पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़ (एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये का 20% अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16.00 करोड़ (सोलह करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय राजादेश संख्या–1165 दिनांक–17.05.2019 के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़ (एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये का 20% अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16.00 करोड़ (सोलह करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801057890101 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
2000000000.00	150000000.00	160000000.00	310000000.00	1690000000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L844800 1200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

7. बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–07 / 2017– 12-1 / पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–07 / 2017– 1219– / पटना,दिनांक– 27/05/19

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कं0 लि0 / बजट शाखा, वित्त विभाग / राजस्व शाखा, वित्त विभाग / प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।